Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

130-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026 (BHADRA 4, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2026

No. 18-HLA of 2026/104/14709.— The Haryana State Commission for Women (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 18- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana State Commission for Women Act, 2012.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana State Commission for Women (Amendment) Act, 2026. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 9th July, 2026.

2. In clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Haryana State Commission for Women Act, 2012, for the word "five", the word "seven" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 27 of 2012.

3. (1) The Haryana State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2026 (Haryana Ordinance No. 5 of 2026) is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana State Commission for Women was constituted under the Haryana State Commission for Women Act, 2012 (Haryana Act 27 of 2012), is entrusted with the statutory responsibility of protecting and promoting the rights and interest of the women in the State.

In recent years, the workload and responsibilities of the Commission have increased substantially due to a rise in complaints, representations and matters relating to women, the existing strength of five non-official members of the Commission has become inadequate for the effective and expeditious discharge of its statutory functions. It is, therefore, considered necessary to amend section 3(2)(b) of the Haryana State Commission for Women Act, 2012, so as to increase the number of non-official members from five to seven and thereby strengthen the institutional capacity of the Commission.

As the Haryana Legislative Assembly was not in session and immediate action was considered necessary, the Haryana State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2026 was promulgated by the Governor of Haryana on 9th July, 2026, thereby amending clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Act to substitute the word “five” with “seven”. The present Bill seeks to replace the said Ordinance and give effect to the aforesaid amendment.

Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana State Women Commission Act, 2012 by way of enacting the Haryana State Women Commission (Amendment) Bill, 2026.

Hence this Bill.

SHRUTI CHAUDHARY,
Women and Child Development, Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 26th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 18 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 09 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2012 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) में, "पांच" शब्द के स्थान पर ''सात'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति

3. (1) हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 (2012 का हरियाणा अधिनियम 27) के तहत किया गया है। आयोग को राज्य में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा एवं उनके संवर्धन की वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से संबंधित शिकायतों, ज्ञापनों और अन्य मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप आयोग के कार्यभार और जिम्मेदारियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में आयोग में पांच गैर–सरकारी सदस्य हैं। बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए यह संख्या आयोग के कार्यों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, आयोग की कार्यक्षमता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 3 (2) (ख) में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। इसके तहत गैर–सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात करने का प्रस्ताव है।

चूंकि उस समय हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी, इसलिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 9 जुलाई, 2026 को हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) में "पांच" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द कर दिया गया। अब उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने तथा किए गए संशोधन को विधिवत प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में उक्त संशोधन को स्थायी रूप से लागू करने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक है।

श्रुति चौधरी,
महिला एवं बाल विकास मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.
सचिव।

12821—H.V.S.—H.G.P., Pkl.